कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

:: नीलामी विज्ञप्ति ::

कमांकः 530/दो–12–12/78(कॅंटीननिलामी), रायसेन,दिनांक 27/03/2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय भवन परिसर रायसेन स्थित कॅंटीन के संचालन हेतु वर्ष 2018–19 के लिए ठेका दिया जाना है । अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नजारत अनुभाग रायसेन में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालय समय मे उपस्थित होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

:: शर्तें ::

1– निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एग्रीमेंट स्टाम्प पर तीन दिन के अंदर देना होगा ।

2– कॅंटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी ।

3– ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.3.2019 तक होगी ।

4– कॅंटीन में सफाई आदि न होने पर खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जावेगी ।

5– प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जावेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकमुश्त अदा करनी होगी ।

6– कॅंटीन में जो खाद्य सामग्री विकय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।

7– ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

8– निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र) नगद नजारत अनुविभाग में जमानत के रूप में जमा करना होंगे । निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी । बिना जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

9– निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम 4.00. बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जावेंगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नही होंगे ।

10– कॅंटीन संचालन हेतु वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह कॅंटीन की साफ सफाई रखेगा । आज दिनांक 27/3/18 को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई ।

(विमल प्रकाश शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन

पृष्ठां.क./533/दो–12–12/78(कॅंटीननिलामी), रायसेन,दिनांक 27/03/2018

यथा निर्देश प्रतिलिपि :–

1– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थल बसस्टेंण्ड, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3– सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि निलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित बेबसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करे ।

4– लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते– जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन